[2018] 14 एस.सी.आर. 914

गणेश सुखदेव गुरुले

बनाम

तहसीलदार सिन्नार और अन्य।

(2018 की सिविल अपील संख्या 11916) 10 दिसंबर, 2018

[न्यायपीठ एके सीकरी, अशोक भूषण और एस अब्दुल नज़ीर]

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 – धारा 35 (3) – अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए बहुमत – की गणना – उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया – अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए ग्राम पंचायत की विशेष बैठक आयोजित की गई और ग्राम पंचायत के 9 सदस्यों में से केवल 8 सदस्य बैठक में उपस्थित थे – 6 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 2 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया – 1 सदस्य जिन्होंने अविश्वास के पक्ष में मतदान किया। प्रस्ताव मतदान के लिए योग्य नहीं था, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में केवल 5 वैध वोट दिए गए – अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया – महाराष्ट्र ग्राम पंचायत नियम, 1958 के 35 (3–बी) के तहत एक विवाद आवेदन पारित किया गया था – अतिरिक्त कलेक्टर ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव वैध रूप से पारित किया गया था – अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था – अपील पर, अधिनियम की धारा 35 (3) बहुमत को "सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो–तिहाई बहुमत के रूप में संदर्भित करती है जो कुछ समय के लिए बैठने और वोट देने के हकदार हैं" – तत्काल मामले में, सदस्यों की कुल संख्या 9 है और मैं सदस्य बैठने और मतदान करने के लिए अयोग्य हो जाता हूं, बहुमत की गणना संख्या 8 के आधार पर होनी चाहिए, संख्या 8 का दो–तिहाई 5.33 होगा – इसके अलावा, अधिनियम की धारा 35 (3) में प्रयुक्त 'कम नहीं' शब्दों को अर्थ और उद्देश्य दिया जाना चाहिए – जब बहुमत 5.33 वोट आता है तो "5.33 से कम नहीं" को अर्थ दिया जाना चाहिए, इसलिए, 5.33 को कभी भी 5 में नहीं बदला जा सकता है, अंश को एक के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि वोटों को अंश के रूप में नहीं माना जा सकता है – इसलिए, धारा 35(3) के अनुसार प्रस्ताव को पारित करने के लिए 5.33 मतों को 6 मतों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए – इस प्रकार, अविश्वास प्रस्ताव वैध रूप से पारित नहीं किया गया था और अतिरिक्त कलेक्टर के साथ–साथ उच्च न्यायालय का आदेश गलत था – महाराष्ट्र ग्राम पंचायत नियम, 1958 – आर.35 (3–बी)।

914 गणेश सुखदेव गुरुरुले बनाम तहसीलदार सिन्नार और अन्य।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा:

1. वर्तमान मामले में, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 35 (3) बहुमत को "सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो–तिहाई बहुमत के रूप में संदर्भित करती है जो कुछ समय के लिए पंचायत की किसी

भी बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार हैं"। उपरोक्त अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से "सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई के बहुमत को इंगित करती है जो कुछ समय के लिए बैठने और मतदान करने के हकदार हैं"। अभिव्यक्ति में मुख्य शब्द वे सदस्य हैं जो कुछ समय के लिए पंचायत में एक बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार हैं। इस प्रकार बहुमत की गणना "किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के अधिकार" को संदर्भित करती है। इस प्रकार, बहुमत की गणना के लिए बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सदस्यों की कुल संख्या नौ होने और एक सदस्य को बैठने और मतदान करने के लिए अयोग्य घोषित किया जा रहा है, बहुमत की गणना संख्या आठ के आधार पर होनी चाहिए, संख्या आठ का दो-तिहाई 5.33 होगा। [पैरा 9] [918-जी-एच; 919-ए]

2. जहां तक एक अयोग्य सदस्य के वोट का सवाल है, इसकी गणना न तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए की जा सकती है और न ही वैधानिक योजना के अनुसार दो-तिहाई बहुमत की गणना के लिए प्रासंगिक है। अधिनियम की धारा 35(3) में प्रयुक्त 'कम से कम नहीं' शब्दों को अर्थ और उद्देश्य दिया जाना चाहिए। जब बहुमत 5.33 वोटों पर आता है तो "5.33 वोटों से कम नहीं" को अर्थ दिया जाना चाहिए, इसलिए, 5.33 को कभी भी 5 में नहीं जोड़ा जा सकता है, अंश को एक के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि वोटों को अंश के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, धारा 35 (3) द्वारा अनिवार्य प्रस्ताव को पारित करने के लिए 5.33 वोटों को 6 वोटों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। [पैरा 17] [923-ई-एफ]

3. इस प्रकार, अविश्वास प्रस्ताव वैध रूप से पारित नहीं किया गया था और अतिरिक्त कलेक्टर के साथ-साथ उच्च न्यायालय का आदेश गलत है। यह माना जाता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था क्योंकि यह सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई द्वारा पारित नहीं किया गया था जो कुछ समय के लिए बैठने और वोट देने के हकदार थे। [पैरा 18] [923-एफ-जी]

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम पवन कुमार तिवारी और अन्य, (2005) 2 एससीसी 10: [2005] 1 एससीआर 21 - संदर्भित। जयराम वी. सचिव, यू.डी.डी. मुंबई, 2010 (3) एमएच।

LJ 465:

अनंत बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त 2017 (1) एमएचएलजे 431 - संदर्भित। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 14 एस.सी.आर.

केस लॉ रेफरेंस [2005] 1 एससीआर 21 पैरा 11 सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार को संदर्भित: 2018 की सिविल अपील संख्या 11916।

2018 के डब्ल्यूपी संख्या 12185 में बॉम्बे में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के दिनांक 22.11.2018 के फैसले और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से सुश्री दीपलक्ष्मी एस. मातवांकर और रवींद्र सदानंद चिंगाले।

उत्तरदाता की ओर से सचिन पाटिल और कैलास बाजीराव औताडे।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश अशोक भूषण द्वारा सुनाया गया

1. यह अपील अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 22.11.2018 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है।

2. हमने अपीलकर्ता के वकील के साथ–साथ प्रतिवादी नंबर 4 के वकील को सुना है जो कैविएट पर पेश हुए हैं। प्रतिवादी नंबर 4 और अन्य निजी उत्तरदाताओं के हित समान होने के कारण हमने अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी नहीं किया है।

3. अपील पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक मामले के संक्षिप्त तथ्य हैं:

07.09.2018 को, उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। तहसीलदार ने दिनांक 07.09.2018 को नोटिस जारी कर 14.09.2018 को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाई। दिनांक 14.09.2018 को ग्राम पंचायत के नौ सदस्यों में से केवल आठ सदस्य बैठक में उपस्थित थे। छह सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और दो सदस्यों ने इसका विरोध किया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों में से एक श्रीमती सुशीला प्रकाश दराडे मतदान करने के योग्य नहीं थी, जिन्होंने चुनाव के बाद अपना जाति प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया था, इसलिए, उन्हें सदस्य बने रहने या किसी भी बैठक में मतदान करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत नियम, 1958 की धारा 35 (3–बी) के तहत पारित अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देते हुए एक विवाद आवेदन दायर किया गया था। अतिरिक्त कलेक्टर, नासिक ने दिनांक 16.10.2018 को एक आदेश पारित किया, जिसमें 14.09.2018 की विशेष बैठक को मंजूरी देते हुए कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव वैध रूप से पारित किया गया था। अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर यह अपील दायर की गई है। गणेश सुखदेव गुरुले बनाम तहसीलदार सिन्नार और अन्य।

[न्यायधीश अशोक भूषण]

4. अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत के कुल सदस्य नौ हैं और एक सदस्य को दो–तिहाई बहुमत के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, जिसकी गणना आठ सदस्यों के आधार पर की जानी चाहिए जो 5.33 होती है और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में केवल पांच वैध वोट होने के कारण, प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों में से एक अर्थात श्रीमती सुशीला प्रकाश

दराडे को बैठने और मतदान करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं गिना जा सकता है, दो तिहाई बहुमत 5.33 है, अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम छह मतों की आवश्यकता थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्रीमती सुशीला प्रकाश दराडे द्वारा कानून द्वारा आवश्यक छह महीने के भीतर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण वह ग्राम पंचायत की बैठक में बैठने या मतदान करने के लिए स्वचालित रूप से अयोग्य हो जाती हैं।

5. अपीलकर्ता के वकील द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को प्रतिवादी के वकील द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल आठ सदस्य उपस्थित हैं और एक को अयोग्य घोषित किया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सात और पांच वोटों से दो–तिहाई बहुमत की गणना की जाएगी, प्रस्ताव को वैध रूप से पारित माना जाएगा। यह तर्क दिया गया है कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 35 (3) के प्रावधान का अर्थ यह है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो–तिहाई का बहुमत, इस प्रकार, केवल 8 सदस्य उपस्थित हैं, बहुमत की गणना एक अयोग्य सदस्य को छोड़कर 7 से की जानी है। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वैध रूप से पारित किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया था।

6. पक्षकारों के विद्वान वकील ने कुछ निर्णयों पर भरोसा किया, जिन्हें प्रस्तुतियों पर विचार करते समय संदर्भित किया जाएगा।

7. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 35 अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है। धारा 35 (1) और धारा 35 (3) जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक हैं, इस प्रकार हैं:

“35. अविश्वास प्रस्ताव। (1) अविश्वास प्रस्ताव उन सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम [एक तिहाई] द्वारा पेश किया जा सकता है जो तहसीलदार को ऐसी सूचना देने के बाद सरपंच या उप–सरपंच के खिलाफ पंचायत की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार हैं। [एक बार दिए गए ऐसे नोटिस को वापस नहीं लिया जाएगा।

XXX XXX XXX

(3) यदि प्रस्ताव उन सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो–तिहाई बहुमत से किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 14 एस.सी.आर. पंचायत या उप–सरपंच की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने का अधिकार, जैसा भी मामला हो, [सभी शक्तियों का प्रयोग करना बंद कर देगा और कार्यालय के सभी कार्यों और कर्तव्यों का पालन करेगा और उस पर ऐसी शक्तियां, कार्य और कर्तव्य सरपंच के खिलाफ प्रस्ताव किए जाने की स्थिति में उप–सरपंच में निहित होंगे; और यदि सरपंच और उप–सरपंच दोनों के खिलाफ प्रस्ताव चलाया जाता है, ऐसे अधिकारी में, जो विस्तार अधिकारी के पद से नीचे का न हो, जैसा कि खंड विकास अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाए, जब तक कि उपधारा (3 बी) के तहत निर्दिष्ट विवाद, यदि कोई हो, का

निर्णय नहीं हो जाता।“

8. विचार के लिए उठने वाला मुख्य मुद्दा यह है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में पंचायत में पारित किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव को आयोजित करने के लिए दो–तिहाई बहुमत क्या होगा। माना कि ग्राम पंचायत में नौ सदस्य हैं। 14.09.2018 को आयोजित बैठक में नौ सदस्यों में से आठ सदस्य उपस्थित थे। उपस्थित आठ सदस्यों में से एक सदस्य को चुनाव के बाद अपना जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण बैठने और मतदान करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वह उन छह सदस्यों में से एक थीं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पांच वैध वोट पड़े जबकि दो इसके खिलाफ पड़े। संविधि में प्रस्ताव पारित करने के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान है। विशेष बहुमत से निपटते हुए पैराग्राफ 7.32 में "बैठकों के कानून और अभ्यास" पर शेकलटन कहता है: "

“जिन मामलों में विशेष बहुमत निर्धारित किए गए हैं, संबंधित क़ानून या नियमों या नियमों के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, जहां एक पुराने अधिनियम के तहत एक प्रस्ताव को "बैठक में उपस्थित करदाताओं के दो–तिहाई वोटों से युक्त बहुमत से निर्धारित किया जाना था", और 37 उपस्थित थे, प्रस्ताव के पक्ष में 20 करदाताओं के वोट (शेष अनुपस्थित) को क़ानून का पालन करने के लिए अपर्याप्त माना जाता था।”

9. वर्तमान मामले के क़ानून में, धारा 35 (3) बहुमत को "सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो–तिहाई बहुमत के रूप में संदर्भित करती है जो कुछ समय के लिए पंचायत की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार हैं"। उपरोक्त अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से "सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो–तिहाई के बहुमत को इंगित करती है जो कुछ समय के लिए बैठने और मतदान करने के हकदार हैं"। अभिव्यक्ति में मुख्य शब्द वे सदस्य हैं जो कुछ समय के लिए पंचायत में एक बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार हैं। इस प्रकार बहुमत की गणना "किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के अधिकार" को संदर्भित करती है। इस प्रकार, बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार सदस्यों की संख्या को गणेश सुखदेव गुरुले बनाम तहसीलदार सिन्नार और ओआरएस में लिया जाना चाहिए।

[न्यायधीश अशोक भूषण]

बहुमत की गणना के लिए विचार। सदस्यों की कुल संख्या नौ होने और एक सदस्य को बैठने और मतदान करने के लिए अयोग्य घोषित किया जा रहा है, बहुमत की गणना संख्या आठ के आधार पर होनी चाहिए, संख्या आठ का दो–तिहाई 5.33 होगा। प्रतिवादी का निवेदन यह है कि दो–तिहाई बहुमत की गणना उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से की जानी है यानी एक सदस्य को छोड़कर सात जो वोट देने के लिए अयोग्य थे और पांच सात में से दो–तिहाई से अधिक है, बहुमत सही तरीके से पारित किया गया है। प्रतिवादी के लिए विद्वान

वकील द्वारा की गई व्याख्या को क़ानून की स्पष्ट भाषा के मद्देनजर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क़ानून में महत्वपूर्ण शब्द सदस्य हैं "जो कुछ समय के लिए sit_and वोट के हकदार हैं"। यह, अभिव्यक्ति को उपस्थित और मतदान करने वाले अभिव्यक्ति सदस्यों के रूप में नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादी की यह दलील कि सात सदस्यों की बहुमत संख्या की गणना के लिए माना जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

10. उत्तरदाता द्वारा डाला गया अगला निवेदन यह है कि राउंड ऑफ के सिद्धांत को लागू करने के लिए 5.33 वोटों को पांच के रूप में गोल करना होगा। इस प्रकार, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से बहुमत स्वीकार करने के लिए पांच वोट पर्याप्त हैं। क्या 5.33 वोटों को 5 वोटों में बदला जा सकता है या कम से कम छह वोटों की आवश्यकता है, यह असली मुद्दा है। जब क़ानून में स्पष्ट शब्द होते हैं यानी "सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम दो–तिहाई नहीं" जो राउंडिंग ऑफ के सिद्धांत को लागू करता है, तो 5.33 वोट को 5 के रूप में नहीं माना जा सकता है। किसी व्यक्ति के मत को अंश में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जब बहुमत की गणना एक वोट के अंश के साथ होती है, तो उस अंश को एक वोट के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि वोटों को अंश में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। धारा 35 द्वारा निरूपित सांविधिक योजना में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है कि .5 से कम के आंकड़े को नजरअंदाज किया जाए और .5 से अधिक के आंकड़े को एक माना जाए। धारा 35 (1) का प्रावधान, जिसमें पंचायत की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता का प्रावधान है, वही अभिव्यक्ति है जो उप–धारा (3) में उपयोग की जाती है। स्पष्ट तया, प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम एक तिहाई संख्या की आवश्यकता की गणना उन सदस्यों की कुल संख्या से की जानी चाहिए जो बैठने और मतदान करने के हकदार हैं। इस प्रकार, धारा 35 की उप–धारा (3) में उपयोग की गई एक ही अभिव्यक्ति के कारण दोनों अभिव्यक्तियों को एक ही अर्थ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, बैठने और मतदान करने के हकदार सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई किसी विशेष समय पर मतदान करने के हकदार सदस्यों की ताकत पर निर्धारित किया जाना है। दो–तिहाई बहुमत की गणना करते समय भी यही अर्थ लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 14 एस.सी.आर.

11. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दो निर्णयों पर भरोसा किया है, एक, उत्तर प्रदेश राज्य में इस न्यायालय का और दूसरा बनाम पवन कुमार तिवारी और अन्य, (2005) 2 एससीसी 10। उपरोक्त मामले में, यह न्यायालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के संदर्भ में आरक्षण के प्रतिशत की प्रयोज्यता पर विचार कर रहा था। उत्तर प्रदेश राज्य में आरक्षण श्रेणी के लिए निर्धारित प्रतिशत निर्णय के पैराग्राफ 2 में देखा गया है। सामान्य श्रेणी से संबंधित उत्तरदाता प्रतीक्षा सूची में सबसे ऊपर था। उन्होंने एक रिट याचिका दायर की जिसमें राज्य को प्रतिवादी को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि सामान्य श्रेणी के 50% जो 46.50 थे, उन्हें 47 के रूप में माना जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था और प्रतिवादी को 47 वीं सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में नियुक्ति का हकदार माना था। राज्य द्वारा दायर अपील को इस न्यायालय ने खारिज कर दिया था। फैसले के पैराग्राफ 2, 6 और 7 इस प्रकार हैं: "2. आरक्षण का प्रतिशत, जैसा कि लागू होता है और जैसा कि वास्तव में लागू किया गया था, निम्नलिखित तालिका में

निर्धारित किया गया है: (निर्धारित) आरक्षित जाति पिछड़ा वर्ग जनजाति 6. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो खामियां पाई हैं। सबसे पहले, 46.50 के आंकड़े को 47 तक गोल किया जाना चाहिए था, न कि 46 तक; और दूसरा, स्वतंत्रता सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में, 46 पदों के सामान्य कोटे में इस तरह के आरक्षण को सम्मिलित करके कुल 3 पदों को क्षैतिज रूप से आरक्षित के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसका प्रभाव सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची से चयन क्षेत्र तीन के उम्मीदवारों को बाहर करने का था। 7. हमें उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दो तर्कों में से किसी में भी कोई दोष नहीं लगता है। तर्क और सामान्य ज्ञान के आधार पर गोल करने का नियम है: यदि भाग आधा या उससे अधिक है, तो इसका मूल्य एक तक बढ़ाया जाएगा और यदि भाग आधे से कम है, तो इसका मूल्य गणेश सुखदेव गुरुले बनाम तहसीलदार सिन्नार और ओआरएस होगा।

[न्यायधीश अशोक भूषण]

अनदेखा कर दिया गया। 4650 को 47 तक गोल किया जाना चाहिए था न कि 46 जैसा कि किया गया है। यदि सामान्य श्रेणी में चयन के लिए 47 उम्मीदवारों पर विचार किया गया होगा, तो उत्तरदाता को चयनित मेधावी उम्मीदवारों की सूची में जगह मिलना निश्चित था और इसलिए नियुक्ति का हकदार था। "

12. उपर्युक्त मामले में इस न्यायालय का निर्णय रिक्तियों को भरने के संबंध में था। आरक्षित पद पदों की कुल संख्या का 50% होने के नाते आरक्षण किसी भी तरह से 50% से अधिक नहीं हो सकता है। उपरोक्त मामले के तथ्यों में, कुल 93 पद थे, 47 को 50% से अधिक माना गया था। इसलिए, सामान्य श्रेणी के लिए पद जो 46.50 था, उसे उच्च न्यायालय द्वारा 47 तक बदल दिया गया था जिसे इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। उक्त मामला 1994 के अधिनियम के अनुसार विशेष श्रेणी के लिए रिक्तियों की गणना से संबंधित है, जो सिद्धांत विशेष बहुमत की गणना में लागू नहीं किया जा सकता है जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है।

13. एक अन्य निर्णय जयराम बनाम सचिव, यू.डी.डी. मुंबई, 2010 (3) एमएच में एक पूर्ण पीठ का निर्णय है। पवन कुमार तिवारी (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने कहा कि बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम द्वारा चित्रित वैधानिक योजना के अनुसार समूहों के आधार पर पंजीकृत या मान्यता प्राप्त पार्टियों को सीटें आवंटित करने में 0.5 से नीचे के अंश को नजरअंदाज करने का कोई औचित्य नहीं है। 1949. पैराग्राफ 31 में पवन कुमार तिवारी (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने सही कहा है कि राउंडिंग वह अनुपात या सिद्धांत नहीं था जिस पर पवन कुमार तिवारी मामले का फैसला किया गया था। फैसले का पैराग्राफ 31 नीचे उद्धृत किया गया है:

"31. श्री अंतुरकर, विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि राउंडिंग का नियम अब अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है और तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार तिवारी, (2005) 2 एससीसी 10 पर भरोसा किया।

उस मामले में सिविल जजों, जेडी के 93 पद विज्ञापित किए गए थे और 50% पद विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित थे और 50% सामान्य या खुली श्रेणी के लिए थे। इस प्रतिशत को देखते हुए आरक्षित श्रेणी के लिए 46.50 सीटें और सामान्य श्रेणी के लिए 46.50 सीटें उपलब्ध होंगी।

राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध पदों की संख्या 46 और आरक्षित श्रेणी के लिए 47 कर दी है।

उच्च न्यायालय ने प्रक्रिया में खामियां पाई और कहा कि सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध पदों की संख्या 46 नहीं हो सकती है, लेकिन इसे 47 पर रखा जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 14 एस.सी.आर. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि यदि आरक्षित श्रेणी के लिए सीटें 47 तय की जाती हैं, तो यह 50% की सीमा को पार कर जाएगी और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इस तरह आरक्षित श्रेणी के लिए उपलब्ध पदों की संख्या 46 और सामान्य श्रेणी के लिए 47 तय की जानी चाहिए थी। पैरा 9:–"9 में उनके प्रभुत्व को निम्नानुसार देखा गया है। एक और कारण है कि उच्च न्यायालय के फैसले को बनाए रखा जाना चाहिए। रिक्तियों की कुल संख्या 93 थी। आरक्षण के आवंटन और अपीलकर्ताओं द्वारा की गई गणना के परिणामस्वरूप, आरक्षित सीटों की संख्या 47 हो जाएगी, जिससे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केवल 46 उपलब्ध होंगे। इसका मतलब है कि आरक्षण 50% से अधिक हो जाएगा जो असंवैधानिक होगा। आरक्षित सीटों की कुल संख्या 93 में से 46 से अधिक नहीं हो सकती थी। वास्तव में, इस मामले में, दोनों समूहों के पास 46.5 था और यदि एक ही सूत्र लागू किया जाएगा, तो प्रत्येक मामले में .50 को 1 तक गोल किया जा सकता था और प्रत्येक समूह 47 सीटों का हकदार होगा। उस स्थिति में, कुल संख्या 94 हो जाएगी, जबकि उपलब्ध कुल रिक्तियां केवल 93 थीं। इस प्रकार, राउंडिंग वह अनुपात या सिद्धांत नहीं है जिसके आधार पर उस मामले का फैसला किया गया था। यह मुख्य रूप से इस प्रश्न पर तय किया गया था कि क्या आरक्षित श्रेणियों को 50% कोटा से अधिक सीटें मिल सकती हैं।

इसलिए पवन कुमार तिवारी के मामले में अधिकार का इस्तेमाल वसंत गीते में लिए गए दृष्टिकोण के समर्थन में नहीं किया जा सकता है।

14. इसके अलावा, बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पैराग्राफ 34 में खुद कहा कि पंजीकृत या मान्यता प्राप्त दलों या समूहों के आवंटन के संदर्भ में 0.5 से नीचे के अंश को अनदेखा करने का कोई औचित्य नहीं है, जो सीटों की संख्या के हकदार हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का उपरोक्त निर्णय किसी भी तरह से प्रतिवादी के मामले का समर्थन नहीं करता है, बल्कि अपीलकर्ता के तर्क का समर्थन करता है।

15. अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि जहां तक जाति प्रमाण पत्र दाखिल नहीं करने वाले सदस्यों में से एक को अयोग्य घोषित करने का सवाल अनंत बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, 2017 (1) एमएचएलजे 431 पर आधारित है, पूर्ण पीठ के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या छह महीने की अवधि के भीतर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अयोग्यता स्वत: है। संदर्भ का जवाब देते हुए पूर्ण पीठ ने कहा कि चुनाव के लिए छह महीने की अवधि के भीतर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता का प्रावधान अनिवार्य है और अयोग्यता

स्वचालित होगी। फैसले के पैराग्राफ 100 में पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित कहा: गणेश सुखदेव गुरुले बनाम तहसीलदार सिन्नार और अन्य। [न्यायधीश अशोक भूषण]

"100. परिणाम में, हम मानते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 9 ए के दो परंतुकों में निर्धारित छह महीने की समय सीमा, जिसके भीतर एक निर्वाचित व्यक्ति को जांच समिति से वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अनिवार्य है।

इसके अलावा, धारा 9 ए के दूसरे परंतुक के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसका चुनाव पूर्वव्यापी रूप से समाप्त माना जाएगा और उसे पार्षद होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

उनके चुनाव को पूर्वव्यापी रूप से समाप्त करना और पार्षद होने के लिए अयोग्यता स्वचालित होगी और निर्धारित अवधि के बाद उनके जाति दावे के सत्यापन से उनके चुनाव की बहाली नहीं होगी।

उठाए गए प्रश्नों का तदनुसार उत्तर दिया जाता है। "

16. यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि इस न्यायालय ने 2016 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 29874-29875 (शंकर पुत्र रघुनाथ देवरे (पाटिल) बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य) में 23.08.2018 के अपने फैसले के माध्यम से पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी है, जिसमें कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता अनिवार्य है।

17. इस प्रकार, जहां तक एक सदस्य श्रीमती सुशीला प्रकाश दराडे के मत का संबंध है, इसकी गणना न तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए की जा सकती है और न ही वैधानिक योजना के अनुसार दो-तिहाई बहुमत की गणना के लिए प्रासंगिक है। अधिनियम की धारा 35(3) में प्रयुक्त 'कम से कम नहीं' शब्दों को अर्थ और उद्देश्य दिया जाना चाहिए। जब बहुमत 5.33 वोटों पर आता है तो "5.33 वोटों से कम नहीं" को अर्थ दिया जाना चाहिए, इसलिए, 5.33 को कभी भी 5 में नहीं जोड़ा जा सकता है, अंश को एक के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि वोटों को अंश के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, धारा 35 (3) द्वारा अनिवार्य प्रस्ताव को पारित करने के लिए 5.33 वोटों को 6 वोटों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

18. इस प्रकार, हमारा विचार है कि अविश्वास प्रस्ताव वैध रूप से पारित नहीं किया गया था और ऐड का आदेश]। कलेक्टर के साथ-साथ उच्च न्यायालय भी गलत है। यह माना जाता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था क्योंकि यह सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई द्वारा पारित नहीं किया गया था जो कुछ समय के लिए बैठने और वोट देने के हकदार थे। दिनांक 14.09.2018 की कार्यवाही, कार्यवाही को मंजूरी देने वाले अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश के साथ-साथ रिट याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाता है। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

अंकित ज्ञान अपील को अनुमति दी जाती है।

हिंदी अनुवाद व सत्यापन द्वारा
रेखा रावत
अपर सिविल जज
बरैली